प्रेस नोट
दिनांक 21.03.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव- 2024, होली, रमजान माह व नागरिकता संशोधन अधि0 लागू होने के दृष्टिगत जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने हेतु अर्धसैनिक बल (CISF) एवं पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर के विभिन्न मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 15.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव – 2024, **होली, रमजान माह व भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के दृष्टिगत** जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत व जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अर्धसैनिक बल (CISF) एवं पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों/कस्बा में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव-2024, **होली, रमजान माह व भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के** दृष्टिगत आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, आगामी त्योहारों को शान्तिपूर्ण व भयमुक्त होकर खुशी के वातावरण में त्योहार को मनाने तथा अवांछनीय व आपराधिक किस्म के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन कर आमजन मानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनावो में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया साथ ही अवगत कराया गया कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालो पर पुलिस की पैनी नजर है तथा ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के दौरान किसी तरह की अफवाह न फैलाये न फैलने दे, अफवाह फैलाने वाले तत्वो पर भी पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके साथ ही लोगो को बताया गया कि चुनावों के दौरान किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले लोगो पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

रूट मार्च **के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजेश सिंह व CISF फोर्स व पुलिस बल मौजूद रही।**

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.03.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आगामी त्योहारों व लोकसभा चनाव-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के साथ थानों के विभिन्न ग्राम/मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 11.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव - 2024 को निष्पक्ष व सकुशल सम्पन्न कराने हेतु तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत व जनपद में कानून व शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अर्धसैनिक बल (SSB) एवं पुलिस बल के साथ थाना मोतीगंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/मौहल्लों/कस्बा में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने तथा सुरक्षा का एहसास दिलाया गया तथा अवांछनीय व आपराधिक तत्व के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनावो में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया साथ ही अवगत कराया गया कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालो पर पुलिस की पैनी नजर है तथा ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के दौरान किसी तरह की अफवाह न फैलाये न फैलने दे, अफवाह फैलाने वाले तत्वो पर भी पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके साथ ही लोगो को बताया गया कि चुनावों के दौरान किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले लोगो पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार गोण्डा के अन्य थानों पर भी क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान जनपद में आदर्श आचार संहिता के लागू होने पर उसका पालन करने तथा चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने हेतु अपील की गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 21.03.2024, साइबर सेल,</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में साइबर सेल की त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई धनराशी 1,49,900/- रूपये वापस मिलने से पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को बुके भेटकर सहृदय से दिया धन्यवाद।</u>

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड/साइबर अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ित से फ्रॉड की गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी की गयी धनराशि 1,49,900/- (एक लाख उनंचास हजार नौ सौ रुपये) पीड़ित के खाते में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक संजय कुमार सिंह (मु०खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गोण्डा) निवासी जयमहल कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा क्रेडिट कार्ड कैंसिल कराने के नाम पर रिमोट एक्सस एप डाउनलोड करा कर क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजेक्शन की शिकायत पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय के समक्ष की गयी थी। जिस पर महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया गया था।

जनपदीय साइबर सेल द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़ित के फ्रॉड गई धनराशि 1,49,900/- (एक लाख उनंचास हजार नौ सौ हजार रुपये) वापसी करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा को बुके भेटकर हृदय से धन्यवाद किया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा बताया गया

महोदय द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 21.03.2024, थाना कोतवाली देहात</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

थाना कोतवाली देहात द्वारा जानलेवा हमला करने के 01 और वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-177/2023 धारा 147, 148, 149, 326, 307, 504, 506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त श्रवण मौर्या पुत्र पप्पू मौर्या निवासी कोयली जंगल थाना कोवताली देहात जनपद गोण्डा को दीपक सिंह के भट्टे के पास थाना को0देहात के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रामकुबेर धोबी पुत्र चौधरी धोबी निवासी ग्राम कोयली जंगल बाबापुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 12.04.2023 को विपक्षीगण एक राय होकर जाती सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए पुरानी रंजीश को लेकर जान से मारने की नियत से गाली-गुप्ता देते हुए लाठी डण्डों से मारने पीटने लगे थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में मु0अ0सं0-177/2023 धारा 147, 148, 149, 326, 307, 504, 506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम उत्तम सिंह आदि 08 नफर अभियुक्तों व 10 अज्ञात लोगो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 21.03.2024 को नामजद अभियुक्त श्रवण मौर्या पुत्र पप्पू मौर्या निवासी कोयली जंगल थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को दीपक सिंह के भट्टे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. श्रवण मौर्या पुत्र पप्पू मौर्या निवासी कोयली जंगल थाना कोवताली देहात जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-177/2023 धारा 147, 148, 149, 326, 307, 504, 506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली देहात गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव राय
02. का0 ललित यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.03.2024

जनपद गोण्डा।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम की मासिक गोष्ठी का किया आयोजन, सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश-

आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमे सीसीटीएनएस रैंकिंग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं, अपराधियों के फोटोग्राफ्स सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड करने, गुमशुदा व्यक्तियों के विवरण एवं फोटो को अपलोड करने, प्रतिदिन डाटा सिंक करने, आईसीजेएस व cri-mac पर प्रतिदिन, सीसीटीएनएस रैंकिंग पैरामीटर के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे सीसीटीएनएस की जनपदीय रैंकिंग मे जनपद की स्थिति उच्च बनी रहे इसके साथ ही सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपराध अन्वेषण में उपयोगी दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया तथा नागरिकों द्वारा दिये गये आनलाइन नागरिक सेवाओं यथा चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायता सत्यापन, शिकायत एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समय पूर्व निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया, दुर्घटना होने पर विवेचक द्वारा तत्काल iRAD के माध्यम से फीडिंग हेतु भी निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर सी0सी0टी0एन0एस0 प्रभारी राजदीप यादव व सभी थानों से आये कम्प्यूटर ऑपरेटर/सी0सी0टी0एन0एस0 कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 21.03.2024</u>
<u>पीस कमेटी की बैठक</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के थाना छपिया, कौडिया, इटियाथोक व को0कर्नैलगंज में संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गयी, कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए त्योहारों को सकुशल व शान्तिपूर्ण संपन्न कराने के सम्बन्ध में की गयी वार्ता-

आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना छपिया, कौडिया, इटियाथोक व को0 करनैलगंज में संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहरों (होलिका दहन, होली, गुड़फ्राइडे, जुमा-ए-अलविदा, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह) व लोकसभा समान्य चुनाव 2024 को सकुशल शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराना है।

जिसमें सर्वप्रथम थाना क्षेत्रों से आए हुए संभ्रांत व्यक्तियों से त्योहारों के संबंध में संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई एवं आगामी त्योहारों को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पुलिस/प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। तथा बताया गया की जुलूस बिना अनुमति के न निकाले जाए, आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दयपूर्ण तरीके से मनाए जाए। त्यौहारों को सकुशल शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी। सभी धार्मिक स्थलों पर भी पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जायेगी। पीस कमेटी के सभी सदस्यों से त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग देने की बात बताया गया। इस पर पीस कमेटी के सदस्यों द्वारा आगामी त्योहारों में पुलिस का पूर्ण सहयोग देने एवं त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने का भरोसा दिया गया। त जिससे आगमी त्योहारों सकुशल शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करायी जाए।

<u>इस अवसर पर समस्त पुलिस के अधिकारीगण, थाना क्षेत्र के पीस कमेटी के सम्मानित नागरिकगण मौजूद रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 21.03.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के साथ थानों के विभिन्न ग्राम/मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 11.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना वजीरगंज व थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा आगामी त्योहरों होलिका दहन, होली, गुड़फ्राइडे, जुमा-ए-अलविदा, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह व लोकसभा समान्य चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थानों के विभिन्न ग्रामों/मौहल्लों/कस्बा में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान आगामी त्योहरों होलिका दहन, होली, गुड़फ्राइडे, जुमा-ए-अलविदा, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराने व लोकसभा समान्य चुनाव-2024 के दौरान आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, अवांछनीय व आपराधिक तत्व के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन किया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनावो में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.03.2024
पीस कमेटी की बैठक

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा थाना कटराबाजार में संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गयी, कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए त्योहारों को सकुशल व शान्तिपूर्ण संपन्न कराने के सम्बन्ध में की गयी वार्ता-

आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहरों (होलिका दहन, होली, गुड़फ्राइडे, जुमा-ए-अलविदा, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्री राम नवमी व प्रचलित रमजान माह) व लोकसभा समान्य चुनाव 2024 को सकुशल शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराना रहा।

जिसमें सर्वप्रथम थाना कटाराबाजार क्षेत्रों से आए हुए संभ्रांत व्यक्तियों से त्योहारों के संबंध में संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई एवं आगामी त्योहारों को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पुलिस/प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। तथा बताया गया की जुलूस बिना अनुमति के न निकाले जाए, आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दयपूर्ण तरीके से मनाए जाए। त्यौहारों को सकुशल शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी। सभी धार्मिक स्थलों पर भी पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जायेगी। पीस कमेटी के सभी सदस्यों से त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग देने की बात बताया गया। इस पर पीस कमेटी के सदस्यों द्वारा आगामी त्योहारों में पुलिस का पूर्ण सहयोग देने एवं त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने का भरोसा दिया गया। इसी प्रकार थाना छपिया, कौडिया, इटियाथोक व करनैलगंज में आगामी त्योहारों एंव लोकसभा समान्य चुनाव 2024 को सकुशल शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पीस कमेटी की बैठक की।

इस अवसर पर समस्त पुलिस के अधिकारीगण, थाना क्षेत्र के पीस कमेटी के सम्मानित नागरिकगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.03.2024, मॉनिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व रूपए 30,000-30,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व रु0 30,000-30,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 16.10.2014 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा हत्या करने के आरोप में 04 आरोपी अभियुक्तों 01. शमसेर खॉ, 02. तुर्रम खॉ उर्फ गुद्दी, 03. असलम खॉ पुत्रगण झब्बर खॉ निवासी भुसैली थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा व 04. बच्छराज यादव पुत्र बृजलाल निवासी अहिरनपुरवा अशोकपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर का0 दीपांशु सिंह व थाना कटरा बाजार के पैरोकार हे0का0 सुनील शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास व रू 30,000-30,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. शमसेर खॉ पुत्र झब्बर खॉ निवासी भुसैली थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा ।
02. तुर्रम खॉ उर्फ गुद्दी पुत्र झब्बर खॉ निवासी भुसैली थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा
03. असलम खॉ पुत्र झब्बर खॉ निवासी भुसैली थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा
04. बच्छराज यादव पुत्र बृजलाल निवासी अहिरनपुरवा, अशोकपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-238/14, धारा 328, 302 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.03.2024, थाना को0 नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी करके सरकारी धन को गवन करने का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया -

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0 -13/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ओमवीर सिंह पुत्र स्व0 अतर सिंह निवासी मोहल्ला श्यामपुरी नरौरा थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर को गुरूनानक चौक से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी उपनिदेशक श्री के0एल0 गुप्ता समाज कल्याण देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा थाना को0नगर को लिखित सूचना दिया कि राजीव गाँधी ग्रामीण विधुतकरणी 11वीं योजना के अन्तर्गत अभियुक्त(ठेकेदार) द्वारा जालसाजी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन गवन कर लेने के सम्बन्ध में त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा कार्य की निष्ठा को लेकर संदेह की स्थिति पायी गयी है उक्त सूचना पर मु0अ0सं0 -13/2024 धारा 419, 420, 468 भा0द0वि0 बनाम ओमवीर सिंह आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 21.03.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त ओमवीर सिंह पुत्र स्व0अतर सिंह निवासी मोहल्ला श्यामपुरी नरौरा थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर को गुरूनानक चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ओमवीर सिंह पुत्र स्व0अतर सिंह निवासी मोहल्ला श्यामपुरी नरौरा थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 -13/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. अपराध निरीक्षक अरविन्द यादव
02. का0 उत्कर्ष राय

मीडिया सेल, गोण्डा।